



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 15, शुक्रवार, शाके 1946-सितम्बर 06, 2024  
Bhadra 15, Friday, Saka 1946- September 06, 2024

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर सितम्बर 06, 2024

जी एस आर29:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं0 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 21 के सामने कॉलम संख्या 3 की, क्रम संख्या 128बी एवं उससे संबंधित कॉलम संख्या 4 से कॉलम संख्या 10 की विद्यमान प्रविष्टि को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात्:-

128 बी	(1) भू आवंटन (ई-नीलामी के माध्यम से)	बिड स्वीकृती से 02 दिवस में भूखण्ड आवंटन हेतु ऑफर लेटर जारी किए जाने का प्रावधान है।	संबंधित इकाई प्रभारी रीको	संबंधित इकाई प्रभारी के अलावा सम्बन्धित इकाई /उप इकाई कार्यालय का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	-
	(2) जल कनेक्शन हेतु	20 कार्य दिवस	प्रभारी संबंधित औद्योगिक क्षेत्र रीको	औद्योगिक क्षेत्र का संबंधित प्रभारी अधिकारी	संबंधित इकाई प्रभारी, रीको	महाप्रबन्धक (सिविल), रीको	-

	(3) भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु	15 कार्य दिवस	संबंधित इकाई प्रभारी रीको	संबंधित इकाई प्रभारी के अलावा सम्बन्धित इकाई /उप इकाई कार्यालय का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	-
	(4) अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु (औद्योगिक भवनों हेतु)	08 कार्य दिवस	संबंधित इकाई प्रभारी रीको	संबंधित इकाई प्रभारी के अलावा संबंधित इकाई /उप इकाई कार्यालय का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	-

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 21 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 128ई एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात, निम्न नई क्रम संख्या 128एफ, 128जी एवं 128एच एवं उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

128ए फ-	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में छूट की स्वीकृति व प्रमाण -पत्र जारी करना	07 दिवस	राज्य स्तर पर - आयुक्त ,उद्योग एवं वाणिज्य	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य	मुख्य सचिव
			जिला स्तर पर - महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र	-	आयुक्त ,उद्योग एवं वाणिज्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य
128जी	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 के अन्तर्गत	60 दिवस	राज्य स्तर पर - आयुक्त ,उद्योग एवं	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,	मुख्य सचिव

		विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भू-कर में छूट की स्वीकृति व प्रमाण -पत्र जारी करना		वाणिज्य		उद्योग एवं वाणिज्य		
				जिला स्तर पर - महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र	-	आयुक्त ,उद्योग एवं वाणिज्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य	
	128 एच	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के अन्तर्गत निवेश अनुदान,रोजगार सृजन अनुदान, ब्याज अनुदान अथवा पूंजीगत अनुदान की स्वीकृति व पात्रता प्रमाण -पत्र जारी करना	60 दिवस	राज्य स्तर पर - आयुक्त ,उद्योग एवं वाणिज्य	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य	मुख्य सचिव	
				जिला स्तर पर - महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र	-	आयुक्त ,उद्योग एवं वाणिज्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य	

संख्या F16(1)RPG /2017

राज्यपाल के आदेश से,

हरि मोहन मीना

विशिष्ट शासन सचिव।